

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2014—आश्विन 22, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-9-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, मुंगावली के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगर पंचायत मुंगावली, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 20.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	20 में से	20.000
	योग . .	20.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि सर्वे नंबर-20

दक्षिण में—प्रस्तावित थाना मुंगावली शासकीय भूमि

पूर्व में—मुंगावली से पिपरई रोड

पश्चिम में—शासकीय भूमि सर्वे नंबर-20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-9-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th October 2014

No. D. 15-9-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Hanumana has been established by this department's Notification even No. Dated 9th June, 1953. shall be Additional market yard namely:—

PLACE

An area of 20.000 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Mungawali in Tehsil Mungawali of District Ashoknagar:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
(1)	(2)	(3)
1	From 20	20.000
Total . .		20.000

BOUNDED BY

On the North by—Govt. Land of Survey No. 20

On the South by—Approved Govt. Land for Mungawali Police Sation

On the East by—Mungawali to Pipari Road

On the West by—Govt. Land of Survey No. 20

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-9-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून, 1953 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबन्ध में मंडी समिति मुंगावली जिला गुना के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर पंचायत मुंगावली तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) भारतपुरा, (2) गुन्हेरू, (3) बामौरी, (4) बीडसरकार, (5) टीला, (6) गोरा, (7) दुड़ेर, (8) चाचूखेड़ा, (9) डिचरी, (10) आँक्सी, (11) बाढ़ोली, (12) निरंर, (13) खिरिया, (14) लुहारी, (15) भोपाल, (16) महुआखाडी, (17) मीरकावाद, (18) रतभानपुर, (19) सेहपुरा, (20) मूडरा, (21) विजौरी, (22) हिनौदा, (23) सिंधियागढ़, (24) घनश्यामपुर, (25) सरदारपुर, (26) मुंगावली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-9-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th October 2014

No. D. 15-9-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even Number, dated 9th June, 1953 the following area of Mungawali of District Ashoknagar shall be Additional market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Panchayat Mungawali in Tehsil of Mungawali, District Ashoknagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Bharatpura, (2) Gunehru, (3) Bamori, (4) Beedsarkar, (5) Teela, (6) Gora, (7) Dhuder, (8) Chachukheda, (9) Dhichari, (10) Oxsi, (11) Badholi, (12) Nirrtar, (13) Khiriya, (14) Luhari, (15) Bhopal, (16) Mahuakhadi, (17) Meerkavad, (18) Ratbhanpur, (19) Sehpura, (20) Mudra, (21) Vijouri, (22) Hinnoda, (23) Sindhiyagarh, (24) Ghanshayampur, (25) Sardarpur, (26) Mungawali.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.